रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 अगस्त, 1996/11 श्रावण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खंड

अधिसूचना

शिमला-171002, 27 मई, 1996

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी (16) 6/96.—कैटल ट्रेसपास हिमाचल प्रदेश (अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1973 (1974 का 7) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 14-5-96 के

1750-राजपत्र/96-2-8-96—1221. (3713) मूल्य : 1 रुपया।

प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

पशु अतिचार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973

(1974 का 7)

(7 फरवरी, 1974 को राज्यपाल द्वारा अनुमत)

(30-4-96 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में यथा लागू पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (1971 का 1) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशु अतिचार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

1का 1) 2. पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में "पशु" शब्द के पश्चात् जिसके अन्तर्गत ऐसे सांड नहीं हैं जो वंशवृद्धि के प्रयोजन के लिए खुले छोड़े गए हैं और इस नियमित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किन्तु शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

3. इस अधिनियम की धारा 10 में "अथवा उसके किसी भाग का क्रेता या बंधकदार" शब्दों के पश्चात् "या सरकार द्वारा इस निमित्त, नाम से या पदाभिधान से प्राधिकृत कोई व्यक्ति," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द "सात" के स्थान पर जहां वह प्रथम बार आया है शब्द "तीन" और जहां दूसरी बार आया है शब्द "चार" रखे जाएंगे। धारा 14 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 14 क का अन्तः स्थापन।

"14-क" **कतिपय अदावाकृत पशुओं के शीघ्र व्ययन की प्रक्रिया.**—धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई असम्बद्ध बछड़ा, मेमना या कोई शक्तिहीन, कमजोर या लंगड़ा-लूला पशु परिबद्ध किया जाए, वहां कान्जी हौस रखवाला, परिबद्ध किए जाने के चौबीस घण्टे के अन्दर उस बात की रिपोर्ट उस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी को करेगा और ऐसा अधिकारी, ऐसी रिपोर्ट के चौबीस घण्टे के अन्दर, यदि ऐसे असम्बद्ध बछड़ों, मेमनों या पशुओं का, उसके परिबद्ध किए जाने के चौबीस घण्टे के अन्दर दावा नहीं किया गया है, तो इसके व्ययन के अभिग्रहण के स्थान के निकटतम ग्राम और बाजार स्थल में डोन्डी पिटवा कर और ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, उद्‌घोषणा किए जाने के पश्चात् नीलामी द्वारा या अन्यथा व्ययन कराएगा :

परन्तु यदि जिला के जिला मैजिस्ट्रेट की राय हो कि किन्हीं ऐसे असम्बद्ध बछड़े, मेमने या पशु के व्ययन से उचित कीमत मिलने की संभाव्यता नहीं है तो वह ऐसे पशु को किसी गोसदन या पिंजरापोल में भेज सकेगा।

स्पष्टीकरण. — इस धारा के प्रयोजन के लिए पद—

(क) "गोसदन" या "पिंजरापोल" से ऐसा स्थान या संस्थान अभिप्रेत है जहां बूढ़े, शक्तिहीन, घायल या अन्यथा अनुत्पादक या बेकार पशुओं को पोषण के प्रयोजन से और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रखा जाता है, चाहे ऐसे स्थान या संस्थान का प्रबन्ध सरकार द्वारा या किसी प्राइवेट सोसाइटी या व्यक्ति द्वारा किया जाता है; और

(ख) "असम्बद्ध बछड़े, मेमने या पशु" से ऐसा बछड़ा, मेमना या पशु अभिप्रेत है जो मां के साथ सम्बद्ध नहीं है।"

धारा 17 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 में "तीन मास के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा और "रूप में रखेगा और" शब्दों के पश्चात् आए शब्दों का भी लोप किया जाएगा तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"और यदि निक्षेप की तारीख से छः मास के अन्दर कोई दावा न किया गया या यदि इस अवधि के अन्दर किया गया दावा सिद्ध न हुआ, तो ऐसे आगम सरकार को समपहृत होंगे।"

धारा 26 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध करते समय, मैजिस्ट्रेट—

(क) उससे ऐसे व्यक्ति को जिसकी भूमि, फसल या उत्पाद की क्षति हुई है ऐसे प्रतिकर जो दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो, जैसा कि वह युक्तियुक्त समझे; के संदाय की भी अपेक्षा कर सकेगा, और

(ख) आदेश भी दे सकेगा कि वह पशु जिसके बारे में अपराध किया गया है, किसी अन्य अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त, सरकार को समपहृत किया जाएगा।"

निरसन और व्यावृत्तियां।

8. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि कैटल ट्रेसपास (पंजाब अमैन्डमैन्ट ऐक्ट, 1952 और दि कैटल ट्रेसपास (पंजाब अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1959 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं: (1952 का 24) (1959 का 18)

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, की गई कोई बात, या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत है, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।